कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेशक्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/प्रधानाचार्य/2017 दिनांक:09.08.2017 द्वारा श्री प्रमोद मिश्रा, प्रधानाचार्य(एपीओ–कार्यालय हाजा) का पदस्थापन प्रधानाचार्य राउमावि टावरीवाला, जैसलमेर किया गया था जिसकी अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा दिनांक 14.10.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उक्त आदेश दिनांक 09.08.2017 के विरूद्ध श्री मिश्रा ने स्थगन/निरस्त हेतु माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 17119/2017 श्री प्रमोद मिश्रा बनाम सरकार दायर की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2017 को पारित निर्णय में याचिकार्थी को प्रत्यर्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावेदन का सहानुभूतिपूर्वक जरिए सकारण स्पीकिंग ऑर्डर तीन सप्ताह में निस्तारित करने के आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में स्वयं को हृदय सम्बन्धी बीमारी के चलते ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता होने, वर्तमान में पदस्थापित स्थान के काफी दूर होने तथा आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं हो पाने की विषम परिस्थितियों के कारण अपने गृह जिले चुरू में पदस्थापन की मॉग की गई है।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.10.17 के क्रम में याचिकार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया गया याचिकार्थी के सम्बन्ध में उनके एपीओ किये जाने और नवपदस्थापन के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार से निर्वहन न किया जाकर गंभीर लापरवाही बरती गई। याचिकार्थी द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सत्र 2016–17 के परीक्षार्थियों के नव पंजीयन आवेदनों को प्राप्त नहीं करने, बिना मूल आवेदनों से जांच किये परीक्षार्थियों की अंकतालिकाओं एवं प्रमाणपत्रों के संशोधन प्रस्तावों की अनुशंषा करने तथा दिनांक 08.08.2017 को बिना अनुमति कार्यालय से अनुपस्थित रहते हुए अवकाश स्वीकृति के बिना ही कार्यालय समय में अनुपस्थित रहने का गैर–जिम्मेदाराना कार्य किया गया जिससे कार्यालयी कार्य बाधित हुआ। श्री मिश्रा द्वारा राजकार्य को महत्व नहीं दिया जा रहा है जो एक लोकसेवक के लिए सर्वथा अनुचित है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि गृह जिले में पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी (प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष) का पद धारित है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य एवं लोकहित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। याचिकार्थी के सम्बन्ध में उक्त सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री प्रमोद मिश्रा, प्रधानाचार्य राउमावि टावरीवाला–जैसलमेर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/प्रमोद मिश्रा/एसबीसियास–17119/2017 दिनांकः 19.01.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी(विधि), जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
7. सम्बंधित कार्मिक/याचिकार्थी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)